

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 18(2)एम.ई./ग्रुप-1/2019

जयपुर, दिनांक: 23/6/2021

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
चिकित्सा महाविद्यालय,
अजमेर।

विषय:- सुपरस्पेशियलिटी विभागों में नवीन पदों की स्वीकृति।
सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 24530 दिनांक 01.06.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर में सुपरस्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार किये जाने हेतु निम्न तालिका अनुसार नवीन पदों के स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	विभाग का नाम	आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
1.	प्लास्टिक सर्जरी	01	00	01
2.	नेफ्रोलोजी	01	01	00
3.	न्यूरोलोजी	01	01	00
4.	शिशु सर्जरी	01	00	00
5.	ऑनकोलोजी	01	01	01
6.	ऑनकोलोजी सर्जरी	01	01	01
7.	एण्डोक्राईनोलोजी	01	01	01
8.	जी.आई.सर्जरी	01	01	01
	कुल	08	06	05

शर्त:- उक्त सारणी में उल्लेखित पदों में से जो पद विभागीय सेवा नियमों में सम्मिलित नहीं है, उन पदों को विभागीय सेवा नियमों में सम्मिलित कराया जाना सुनिश्चित करावे।

यूरोलोजी	सह आचार्य के 02 स्वीकृत पदों में से 01 पद को सहायक आचार्य में क्रमावन्त (Down Grade) किया जाता है।
शिशु सर्जरी	सहायक आचार्य के 02 स्वीकृत पदों में से 01 पद को सह-आचार्य में क्रमोन्नत किया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 132100063 दिनांक 23.06.2021 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

(सुनील शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट)/आयोजना विभाग।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर।
8. अनुभागाधिकारी (एस), चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव